

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर (छत्तीसगढ़)



ccfkanker3@gmail.com



(07868) 222014



(07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./न.क्र.78/2020/748

कांकेर, दिनांक/08/04/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध)

छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर।

विषय:—

Diversion of Forest land for non-forest Purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed for the Approach Road from Mines to Public Road Covers an area of 0.95 ha. and the Power lines Covers an area of 1.62 ha. The Forest land in required for approach Road and drawing overhead power line to our Mines Total area 2.58 ha. regarding.

Registration No. FP/CG/Approach/32947/2018

संदर्भ:—

1. आपका पत्र क्र/भू-प्रबंध/खनिज/एल.एम.331-254/2098 दिनांक 28.08.2019

2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र.78/2019/2131 दिनांक 16.08.2019

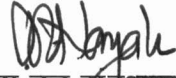


विषयांतर्गत संदर्भ में लेख है कि आवेदनकर्ता श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत आरक्षित/संरक्षित वन भूमि में रकबा 2.58 हे. में पहुँच मार्ग एवं विद्युत लाईन विस्तार हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय के संदर्भित पत्र (अ.क्र.2) द्वारा आपको प्रेषित किया गया था। आपके कार्यालय में प्रस्ताव परीक्षण किया गया जिसमें 08 बिन्दुओं की कमियाँ पाई है, जिसकी पूर्ति कर पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु संदर्भित पत्र (अ.क्र.1) द्वारा निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देश के परिपालन में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव में पाई गई कमियों की पूर्ति कर वनमंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल ने अपने पत्र क्रमांक/मा.चि./2020/1702 दिनांक 09.03.2020 द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

01. प्रस्ताव का आवरण पत्र 44 बिन्दु में तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न है।
02. 27 बिन्दु की चेक लिस्ट प्रस्ताव में संलग्न है।
03. प्रस्ताव के चेक लिस्ट क्रमांक-7 प्रपत्र -4 में 16 बिन्दुओं की जानकारी तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न है।
04. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु व्यपवर्तित रकबा 2.56 हे. के बदले दुगूने राजस्व वन भूमि 5.160 हे. क्षेत्र में 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में सेप फाईल, के.एम.एल. तथा डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट संलग्न है। उक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है तथा कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर का अनापत्ति संबंधी प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।
05. प्रस्ताव के प्रपत्र-3 में वनमंडलाधिकारी नाम अंकित कर दी गई है।
06. अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति का कार्यवाही विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।
07. वन अधिकार वितरण संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
08. बिन्दु -4 की पूर्ति उपरांत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से संबंधित सुधार वेब साईट पर कर दिया गया है।

अतः प्रकरण का प्रस्ताव व व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 04-04 प्रतियों में आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

- संलग्न :-
1. प्रस्ताव एवं प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस.सर्वे रिपोर्ट 04-04 प्रतियों में।
 2. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस.सर्वे रिपोर्ट 04-04 प्रतियों में।

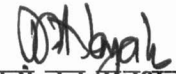

मुख्य वन सुरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

पृ.क्रमांक/मा.चि./न.क्र.78/2020/749

कांकेर, दिनांक/08/04/2019

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल को उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./2020/1702 दिनांक 09.03.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. Director, Shri Bajrang Power and Ispat Limited, Village Borjhara, Urla-Guma Road, Raipur को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


मुख्य वन सुरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर